समाहरणालय अरवल।

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा

अरवल जिला अन्तर्गत सभी 2 (दो), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 से संबंधित निर्वाचन सामग्री, प्रपत्र–मुद्रण, स्टेशनरी– क्रय किये जाने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्वति में मुहरबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 06.07.2020 तक संध्या–05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अरवल जिले के वेबसाइट arwal.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र दिनांक– 04.07.2020 तक किसी भी कार्य दिवस के कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय में 500 रुपये जमा कर खरीदा जा सकता है। सभी कार्यो के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय अरवल से क्रय किये गये विहित प्रपत्र में ही निविदा देनी होगी अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगी। निविदा निर्धारित तिथि–07.07.2020 को अपराह्न 04:00 बजे अपराहन् जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नही होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, अरवल।

निविदा की शर्तें

14

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत कम से कम पाच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2015 Certification का प्रमाण पंत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निवादादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन Return के साथ कम से कम पच्चीस लाख रुपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–2020 में जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
5. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN NO.) के साथ अद्यतन आयकर रिर्टन एवं पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2016–2017), (2017–2018), एवं (2018–2019) का Audited Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष तीन करोड़ रूपये का टर्न ओवर संलग्न करना होगा एवं वितिय वर्षो (2018–2019) का कम से कम एक करोड़ रूपये का Net worth का Audit Report सलग्न करना होगा। जिससे यह प्रमाणित हो कि फार्म आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं।
6. फर्म को ESIC (Employees State Insurance Corporation) एवं Employees Provident Fund के अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है।
7. पूर्व के लोकसभा/विधानसभा चुनाव में सामग्री उपलब्ध कराये जाने का कार्यादेश कम से कम दो जिला का होना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के साथ 25,000.00(पच्चीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, अरवल के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
9. आवंटित कार्य की Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुए जमा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म पर कानूनी कारवाई की जायेगी।
10. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत यदि अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर/बगैर मुहर के पायी जाती हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. निविदादाता फर्म को किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा Blacklisted नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. आवश्यकतानुसार कार्यादेश का अवधि विस्तार एक/तीन साल के लिये किया जा सकेगा है।

(ख) वित्तीय निविदा

1. तकनीकी निविदा में दिए गए शर्त्तो का पालन करने वाले सफल फर्मों की हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। वित्तीय निविदा में संबंधित सभी कार्यों का दर निर्धारित निविदा प्रपत्र में लिखना आवश्यक है।
2. वित्तीय निविदा में प्रपत्र–मुद्रण से संबंधित दर सभी करों (GST) सहित कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किए जाने वाले विपत्रों पर नियमानुसार आवश्यक करों (GST) की कटौतियाँ कर ली जायेंगी।

(ग) सामान्य शर्तें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना अनिवार्य है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure-II) में ही दी गयी निविदा मान्य होगी।
2. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे Company Act 1956 अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, निविदा के लिए मान्य है, जबकि निविदादाता का consortium होना मान्य नहीं होगा।
3. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल के द्वारा निर्धारित शर्तों / निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
4. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात निविदा जमा करते वक्त लिफाफे के अंदर संलग्न रहने चाहिए। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
5. बगैर कोई कारण बताये निविदा रद करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

अपर समाहर्ता
अरवल

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, अरवल।